बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

जी0एस0आर0 ———————— पटना, दिनांक –

राज्य सरकार की राय में राज्य के किसानों को अपनी उपज का भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने तथा धान एवं फोर्टीफायड चावल की उपलब्धता एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य में अधिप्राप्ति केन्द्रों का संचालन आवश्यक है।

2. खरीफ विपणन मौसम, 2025–26 अंतर्गत धान एवं चावल की अधिप्राप्ति करने हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को नोडल अभिकरण के रूप में नामित किया जाता है।

(i) राज्य अंतर्गत धान की अधिप्राप्ति करने हेतु राज्य अभिकरण के रूप में सहकारिता विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स)/व्यापार मंडलों को प्राधिकृत किया जाता है। पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा किसानों से क्रमशः पंचायत/प्रखंड स्तर पर धान का क्रय किया जाएगा तथा अधिप्राप्त धान की मात्रा के समतुल्य फोर्टीफायड चावल तैयार करने हेतु ब्लेंडरयुक्त सम्बद्ध मिलरों को धान हस्तगत कराते हुए उसके समतुल्य अग्रिम फोर्टीफायड चावल (अधिकतम फोर्टीफायड उसना चावल) प्राप्त कर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या 15-5/2022 Bihar-BP-II (e- 382195) दिनांक 19.12.2022 के आलोक में राज्य के सभी जिलों में फोर्टीफायड चावल जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से वितरण किया जा रहा है। साथ ही, उक्त फोर्टीफायड चावल की गुणवत्ता आदि की जाँच हेतु विहित प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में पैक्स/व्यापार मंडलों के द्वारा अधिप्राप्त धान के समतुल्य तैयार फोर्टीफायड चावल की प्राप्ति विहित प्रक्रिया के अनुरूप जॉचोपरान्त गोदामों में जमा किये जाने की कार्रवाई की जायेगी।

(iii) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या 3(18)/2024-PY.I दिनांक 06.06.2025 के द्वारा खरीफ विपणन मौसम, 2025–26 अंतर्गत धान साधारण एवं ग्रेड 'ए0' का न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नवत् निर्धारित है :–

1	**साधारण धान**	**2369/– रू0 प्रति क्वींटल**
2	**धान (ग्रेड–'ए')**	**2389/– रू0 प्रति क्वींटल**

(iv) खरीफ विपणन मौसम, 2025–26 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित फोर्टीफायड उसना तथा फोर्टीफायड अरवा चावल दर प्रभावी होगा।

3. खरीफ विपणन मौसम, 2025–26 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम **उत्तर बिहार में दिनांक 01.11.2025 से एवं दक्षिण बिहार में दिनांक 15.11.2025 से प्रारंभ होकर 28.02.2026 तक प्रभावी रहेगी तथा अधिप्राप्त धान के समतुल्य फोर्टीफायड चावल (अधिकतम फोर्टीफायड उसना चावल) की प्राप्ति दिनांक 01.11.2025 से 30.06.2026** तक के लिए प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

04/10/2025
(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र010– ख0वि0अधि0 –04/2025 2637 खाद्य, पटना/दिनांक– 04.10.2025
प्रतिलिपि – ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0 डी0 संलग्न)। अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

04/x/2025
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक –प्र010– ख0वि0अधि0 –04/2025– 2637 खाद्य, पटना/दिनांक– 04.10.2025
प्रतिलिपि –सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना /मुख्य महाप्रबंधक, अधिप्राप्ति/मुख्य महाप्रबंधक, वित्त, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा सभी जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को सूचनार्थ एंव आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/x/2025
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक –प्र010/ख0वि0अधि0–04/2025– 2637 खाद्य, पटना/दिनांक– 04.10.2025
प्रतिलिपि –मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव/माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

04/x/2025
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/ख0वि0अधि0–04/2025– 2637 खाद्य, पटना/दिनांक– 04.10.2025
प्रतिलिपि – आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई–मेल करने हेतु प्रेषित ।

04/x/2025
प्रधान सचिव ।